

## राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : सीआरओ/राआमं/2019-20/208

दिनांक : 02.12.19

### कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की 239वी बैठक दिनांक 08.11.2019 के बिन्दु संख्या 239.31 पर लिये गये निर्णय की अनुपालना में मण्डल की विभिन्न आवासीय योजनाओं में वाणिज्यिक उपयोग हेतु नियोजित वाणिज्यिक भूमि के निस्तारण के लिए न्यूनतम बिड मूल्य (MBP) निम्नानुसार निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम संख्या	वाणिज्यिक सम्पत्ति का विवरण	न्यूनतम बिड मूल्य का निर्धारण
1	नियोजित शॉपिंग सेन्टर की निर्मित दुकाने/वाणिज्यिक भूखण्ड	सम्बन्धित वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित आरक्षित दर व डी.एल.सी. दर में से अधिकतम दर + 15 प्रतिशत स्थानीय निकाय को देय राशि
2	शॉपिंग सेन्टर के अतिरिक्त नियोजित वाणिज्यिक भूखण्ड	सम्बन्धित वाणिज्यिक सम्पत्ति की निर्धारित आरक्षित दर + 15 प्रतिशत स्थानीय निकाय को सम्बन्धित देय राशि

(पवन अरोड़ा)  
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.मं., जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता-I/II/मुख्यालय/सचिव, रा.आ.म. जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-----, रा.आ.मं., जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
5. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लागत प्रकोष्ठ मुख्यालय, रा.आ.मं. जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-----रा.आ.मं.,-----।
8. सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वृत्त-----, रा.आ.मं.,-----।
9. सम्बन्धित पत्रावली।
10. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार